न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
राजस्व अपील संख्या : 03/2021
दायर दिनांक : 13.01.2021
निर्णय दिनांक : 18.11.2024

—: अनवान :—

जसवन्तराज पिता कुन्दनमल जी महाजन उम्र 60 वर्ष निवासी भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द **— अपीलान्ट**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीम
2. ग्राम पंचायत भीम जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत, भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द **— रेस्पोडेन्टगण**

अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, भीम जिला राजसमन्द, प्रकरण संख्या 410/2017 सरकार बनाम जसवन्तराज, निर्णय दिनांक 27.11.2017 से व्यथित होकर अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलान्ट
2— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3— श्री, अब्दुल हकीम चुडीघर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या संख्या 02

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, भीम जिला राजसमन्द, प्रकरण संख्या 410/2017 सरकार बनाम जसवन्तराज, निर्णय दिनांक 27.11.2017 से व्यथित होकर_अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का भीम ने ग्राम भीम की आराजी खसरा नम्बर 3428 रकबा 1 बीघा किस्म मगरी पर जसवन्तराज के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमण की रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक के मार्फत पेश की गई। जिस पर प्रकरण

नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी जसवन्तराज को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया। उक्त प्रकरण में पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि अप्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है, इसलिये अप्रार्थी को अतिकमी घोषित कर उक्त भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया। जिससे व्यथित होकर यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्याय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को अतिकमी मानने में भारी विधिक भूल की है। अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है बल्कि मौके पर अपीलार्थी ने मकान बना रखा है। मात्र 1 बीघा भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा आधिपत्य है तथा यह कब्जा, आधिपत्य वर्षों से है। पूर्व में भी अपीलार्थी की पत्नी के नाम पर धारा 91 की कार्यवाही उक्त आराजी के संबंध में की गई थी तब भी उक्त मकान व उसके चारों तरफ पत्थर की दीवार बना रखी है तथा एक पानी का हौद भी बना रखा है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि अपीलार्थी इस भूमि पर सद्भावी रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग निवास स्थान व पशुओं के लिये बाड़े के रूप में उपयोग कर रहा है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दिनांक 02.11.2017 को दर्ज किया था तथा इसकी सुनवाई दिनांक 27.11.2017 को नियत की गई थी तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस दिनांक 02.11.2017 को जारी किये गये लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में दिनांक 27.11.2017 को अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बगैर ही प्रकरण को सील लगाकर तारीख पेशी दिये जाने के स्थान पर प्रकरण को निस्तारित करना बताया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर ही नहीं दिया और आलोच्य आदेश पारित कर दिया जो विधि के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.11.2017 भ्रामक व मिथ्या है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह उल्लेखित किया है कि अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया लेकिन उपस्थिति के बाद उसे अपना पक्ष रखने का अवसर ही नहीं दिया और आदेश में यह उल्लेख कर दिया कि अप्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया, कोई सबूत पेश नहीं किया गया। इस प्रकार प्रकरण में अपीलार्थी को कोई अवसर दिये बगैर ही आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की। अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर ही नहीं दिया है और अपने मनमकसूद तरीके से प्रकरण में दिनांक 27.11.2017 को निर्णय पारित कर दिया जो न केवल विधि के विपरीत है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के भी विपरीत है। किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध न्यायिक आदेश पारित करने से पूर्व उसे अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिये जाने का कानूनी प्रावधान है। और सुनवाई का अवसर दिये बगैर यदि कोई आदेश पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश न केवल विधि के विपरीत है बल्कि प्रारम्भ से ही अवैध शून्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयजन्य विधि में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि किसी भी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बगैर किसी प्रकार का आदेश पारित करने की कानूनन अधिकारिता प्राप्त नहीं है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीम द्वारा दिनांक 27.11.2017 को पारित किया गया आदेश न केवल विधि के विपरीत है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के भी विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उक्त आदेश में अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने साक्ष्य सबूत

न्यायालय जिला कलक्टर

पेश करने का कोई अवसर ही नहीं दिया गया है। अपीलार्थी का उक्त भूमि पर अतिकमण नहीं है बल्कि अपीलार्थी ने उक्त भूमि पर अपना निवास निर्मित किया था तथा पशुओं के लिए बाड़ा बनाया था मात्र 1 बीघा भूमि पर कब्जा आधिपत्य है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर ही नहीं दिया है। यदि अधीनस्थ न्यायालय अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर देती तो आलोच्य आदेश पारित करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उक्त भूमि को अपीलार्थी नियमन कराने की पात्रता रखते हैं। इस बाबत समय समय पर अधिसूचना एवं परिपत्र भूमि आवंटन/नियमन करने के निर्देश जारी कर रखे हैं लेकिन इस संबंध में अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर ही नहीं दिया है। अपीलार्थी का मात्र 1 बीघा भूमि पर कब्जा आधिपत्य होकर उक्त भूमि पर ही मकान बना रखा है एवं पशुओं के लिए बाड़ा निर्मित कर रखा है जिसके संबंध में बेदखली का आदेश पारित करना विधि के विपरीत है। अपीलार्थी का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है पूर्व में भी वर्ष 2005 में अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही की गई। जिससे प्रमाणित है कि अपीलार्थी उक्त भूमि पर वर्षों से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है।अपीलान्ट का लम्बे समय से कब्जा आधिपत्य होकर अपीलान्ट द्वारा भूमि को लागत लगाकर विकसित किया गया है। बाउण्ड्री बनाकर महफूज किया गया है। अपीलान्ट उक्त भूमि अपने नाम पर आवंटित/ नियमन कराने की पात्रता रखता है। फिर भी इस बिन्दू पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनन विचार नहीं किया है और प्रकरण को खारिज करने में भारी विधिक भूल की है। वैसे भी धारा 91 की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है अपीलान्ट का वर्षों से कब्जा आधिपत्य होने से धारा 91 की कार्यवाही के जरिये बेदखल नहीं किया जा सकता। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधिक आदेश की परिभाषा में भी नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में जो निर्णय किया है और जिस आलोच्य निर्णय को अपीलान्ट द्वारा चुनौति दी गयी है वह निर्णय ही अधीनस्थ न्यायालय का छपे हुए प्रफोर्मे में है। इससे ही प्रमाणित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक विवेक का उपयोग नहीं किया है और केवल छपे हुए प्रफोर्मे को भरकर पत्रावली को निर्णित करना दर्शाया है जो न केवल विधि विरूद्ध है बल्कि न्याय व विधि के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्ड को देखा ही नहीं निर्णय को लिखाया ही नहीं। केवल छपे हुए प्रफोर्मे पर निर्णय दर्शाते हुए पत्रावली फैसल कर दी गयी। जो अवैध एवं विधि विरूद्ध है। न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है और उस संक्षिप्त कार्यवाही से उसे बेदखल करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। धारा 91 की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही हैं इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पदमावती बनाम राज० राज्य के मामले में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि उक्त कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है और इस कार्यवाही से कब्जेधारी को बेदखल करने का अधिकार नहीं है। लेकिन उक्त न्यायिक निर्णय के प्रतिपादित सिद्धान्त को मद्देनजर रखते हुए उक्त कार्यवाही ड्रोप फरमायी जावे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त न्यायिक निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है –

Rajasthan Land Revenue Act 1956 & Sec 91 & Applicability & Tehsildar issued notice u@s 91 to respondent for Sawai Chak]& Respondent has put forward bona fide claim about her right to remain inoccupation over the land- The said claim raises questions

न्यायालय जिला कलक्टर

involving applicability and interpreration of various laws and documents as well as investigation into disputed questions of fact involving recording of evidence] These matters could not be satisfactorily adjudicated in summary proceedings under Section 91 of the Act and can be more properly considered in regular proceedings in the appropriate forum -

उक्त भूमि अपीलार्थी अपने नाम पर नियमन कराने का भी अधिकारी है। राज्य सरकार द्वारा बिलानाम भूमि पर नियमन करने हेतु परिपत्र क्रमांक–प–6 (7) राज–4/77/2 दिनांक 11/01/2008 में सिवाय चक भूमियों पर दिनांक 15/07/1994 तक कृषि हेतु किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने की जारी निर्देशों में नियमन की दिनांक 15/7/1994 से बढाकर दिनांक 1/1/2000 तक कर दिया गया है, इसके उपरान्त सन् 2000 से उक्त अवधि बढाकर 2016 प्रशासन गांवों के संग अभियान में राज्य सरकार द्वारा की जा चुकी है। अपीलार्थी का कब्जा 1985 से भी पूर्व का है और अपीलार्थी का मामला नियमन योग्य है। उक्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा आधिपत्य होकर अपीलार्थी का हक अधिकार है लेकिन उक्त भूमि के संबंध में तहसीलदार भीम द्वारा धारा 91 की कार्यवाही जो की गई है, वह क्षेत्राधिकार से परे है। उक्त कार्यवाही तहसीलदार भीम द्वारा उक्त भूमि को जब ग्राम पंचायत को आबादी के लिये देना प्रस्तावित कर दिया गया है तो उसके पश्चात धारा 91 की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। सम्पूर्ण की गई कार्यवाही ही अवैध एवं विधि विरूद्ध होकर क्षेत्राधिकार से परे हैं। उक्त भूमि तत्कालीन ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर आबादी के लिये प्रस्तावित कर दी गई है जो विधि के विपरीत है। ग्राम पंचायत के नाम पर उक्त भूमि वर्तमान में आबादी भूमि के रूप में दर्ज हो चुकी है इसलिये ग्राम पंचायत को उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है मियाद माफी के लिये अलग से प्रार्थनापत्र पेश है। अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 27.11.2017 को अपास्त फरमाया जावे और उक्त भूमि अपीलार्थी के नाम पर आवंटन/नियमन के पट्टे जारी करने के आदेश फरमाये जावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पाडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री अब्दुल हाकिम चुड़ीघर उपस्थित हुए।

विचाराधीन प्रकण में तहसीलदार भीम से मौका स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार भीम ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि राजस्व ग्राम भीम का आराजी नं0 3428/9900 रकबा 0.5261 हेक्टयर किस्म आबादी नगर पालिका भीम के नाम दर्ज रिकॉर्ड हैं। विचारधीन प्रकरण से संबंधित भूमि मौके पर खाली (पडत) हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मेंमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का भीम ने ग्राम भीम की आराजी नम्बर 3428 रकबा 1 बीघा किस्म मगरी पर जसवन्तराज के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमण की रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक के मार्फत पेश की गई। जिस पर प्रकरण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी जसवन्तराज को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दिनांक 02.11.2017 को दर्ज किया था तथा इसकी सुनवाई दिनांक 27.11.2017 को नियत की गई थी तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस दिनांक 02.11.2017 को जारी किये गये लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में दिनांक 27.11.2017 को अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बगैर ही प्रकरण को सील लगाकर तारीख पेशी दिये जाने के स्थान पर प्रकरण को निस्तारित करना बताया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर ही नहीं दिया और आलौच्य आदेश पारित कर दिया जो विधि के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में जो निर्णय किया है और जिस आलौच्य निर्णय को अपीलान्ट द्वारा चुनौती दी गयी है वह निर्णय ही अधीनस्थ न्यायालय का छपे हुए प्रफोर्मे में है। इससे ही प्रमाणित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक विवेक का उपयोग नहीं किया है और केवल छपे हुए प्रफोर्मे को भरकर पत्रावली को निर्णित करना दर्शाया है जो न केवल विधि विरूद्ध है बल्कि न्याय व विधि के सिद्धान्तों के विपरीत है। और उस संक्षिप्त कार्यवाही से उसे बेदखल करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। धारा 91 की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही हैं इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पदमावती बनाम राज० राज्य के मामले में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि उक्त कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है और इस कार्यवाही से कब्जेधारी को बेदखल करने का अधिकार नहीं है। उक्त भूमि अपीलार्थी अपने नाम पर नियमन कराने का भी अधिकारी है। अपीलार्थी का कब्जा 1985 से भी पूर्व का है और अपीलार्थी का मामला नियमन योग्य है। अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 27.11.2017 को अपास्त फरमाया जावे और उक्त भूमि अपीलार्थी के नाम पर आवंटन/नियमन के पट्टे जारी करने के आदेश फरमाये जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 के तहत कार्यवाही में अपीलार्थी को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया गया जो विधिसम्मत हैं। अतः अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत भीम ने विधिवत कार्यवाही करा भूमि राज्य सरकार से प्राप्त कर उस पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पट्टे जारी किया हैं। उक्त पट्टो को पंचायत ने अपने स्वामित्व की भूमि का जारी किया हैं। जो विधिसम्मत व नियमानुकुल है। अतः अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम भीम पटवार हल्का भीम तहसील भीम की आ0नं0 3428 किस्म मगरी बिलानाम भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा नाजायज कब्जा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर दिया है। जिसमें अपीलार्थी ने नोटिस की पालना में उपस्थित होकर उक्त बिलानाम भूमि पर कब्जा होना स्वीकार किया है। तथा उक्त पुराना कब्जा होने बाबत कोई दस्तावेज/साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नही किये न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं। वादग्रस्त भूमि बिलानाम होना निर्विवादित है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार को बिलानाम भूमि पर किये गये अतिक्रमण को बेदखली आदेश पारित करने के अधिकार प्राप्त हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया बेदखली आदेश न्यायोचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भीम के द्वारा दिनांक 27.11.2017 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है। तहसीलदार, भीम को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि से अपीलांट का कब्जा हटाकर पालना रिपोर्ट भिजवायी जावें।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार, भीम को लौटायी जावे।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 18.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद